प्र.सं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	... जारी हुए
23/12/25	पुकार उभ०। प्रा० पत्र Or-22 R-4 CPC पर बहस सुनी गई। प्रा० पत्र प्रार्थी Or-22 R-4 CPC स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 5 का नाम विलोपित किया जाता है। बहस प्रा० पत्र 212 RTAct सुनी गई। प्रा० पत्र प्रार्थी U/S 212 RTAct मे निहित प्रावधान प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति को प्रमाणित करने मे असफल होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0
93/प्रा0 पत्र/2021

तारीख दायरा
13.07.2021

तारीख फैसला
23.12.2025

मोहनलाल आयु 71 वर्ष आ0 श्री उदालाल जाति धाकड निवासी देवीनिवास तह0 बिजोलिया जिला भीलवाडा राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. मगवानलाल आयु 55 वर्ष आ0 श्री कान्हा जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 तालेडा जिला बून्दी।
2. शान्तिलाल आयु 50 वर्ष आ0 श्री कान्हा जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 तालेडा जिला बून्दी।
3. जीतमल आयु 92 वर्ष आ0 श्री उद्दा जाति धाकड निवासी देवीनिवास तह0 बिजोलिया जिला भीलवाडा।
4. पापू कुमार आयु 38 वर्ष दत्तक पुत्र श्री कजोड जाति धाकड निवासी देवीनिवास तह0 बिजोलिया जिला भीलवाडा।
5. रूपा आयु 95 वर्ष आ0 श्री बरधा जाति धाकड निवासी उमा जी का थेडा बिजोलिया जिला भीलवाडा। *(आदेशिका दिनांक 23.12.2025 की अनुपालना में विलोपित)*
6. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील तालेडा जिला बून्दी।
7. उप पंजीयक महोदय उप पंजीयक कार्यालय डाबी जिला बून्दी राज0।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :— श्री अखिलेश जैन
अधिवक्ता अप्रार्थीगण :— श्री नन्द सिंह

— : : निर्णय : : —

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खाता सं0 नया 39 पुराना 39 खसरा सं0 68 रकबा 0.1538 है0, खसरा सं0 96 रकबा 1.0846 है0, खसरा सं0 97 रकबा 0.5261 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.7645 है0 वाके ग्राम फतेहपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तह0 तालेडा में स्थित है उपरोक्त भूमि में अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता मृतक कान्हा का हिस्सा 1/4 अप्रार्थी सं0 3 का हिस्सा 1/8, अप्रार्थी सं0 4 का हिस्सा 1/4 , अप्रार्थी सं0 5 का हिस्सा 1/4 तथा प्रार्थी का हिस्सा 1/8 निहित है। जिस पर प्रार्थी अपने हिस्से 1/8 पर काबिज काश्त होकर जीविकोपार्जन कर रहा है इसके अतिरिक्त अन्य कोई आय का साधन प्रार्थी के पास नही है। उक्त भूमि का कानूनीरूप से पक्षकारों के मध्य बटवारा नही हुआ है जिस कारण अप्रार्थीगण सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते है उक्त विवाद को समाप्त करने के लिये आपसी सहमती से बटवारा हेतु अप्रार्थीगण से निवेदन किया किन्तु अप्रार्थीगण ने बटवारा एवं सीमाज्ञान से इनकार कर भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी एवं प्रार्थी को नुकसानकारित कर प्रार्थी के हिस्से की जमीन को हडपना चाहते है जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के विरूद्ध दोराने वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन दादागिरी व ताकत के बल पर कब्जा करने व बेदखल करने की कोशिश न तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे। प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पेदा नही करे। राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल यथा रहन, बैचान, अन्तरण के किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अस्वीकार है प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नही है उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 एवं उनकी बहिन बदाम बाई, भाई नानालाल एवं प्रभुलाल तथा अप्रार्थी सं0 5 का ही हक अधिकार है। सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 का कब्जा है प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहने से प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थी के पिता उद्दा एवं जवाबकर्ता के दादाजी बिरधीचंद जी दोनो सगे भाई थे। जो उमा खेडा में निवासरत थे। बिरधीचंद की मृत्यु पश्चात उनका पुत्र खाना जो कि जवाबकर्ता का पिता है श्रीनगर आये तथा उद्दा जी जो प्रार्थी के पिता है ग्राम देवीनिवास आये। वाद वर्णित

अवाबकर्ता के पिता ने फाड–तोड कर कृषि योग्य बनाया एवं ग्राम श्रीनगर में रखकर उक्त कृषि भूमि पर कार्य करने लगे एवं आवंटन करवाई। इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता उद्दा का एवं उद्दा के वारिसान का कब्जा काश्त देबीनिवास (बिजोलिया) में रहने से नही रहा है। प्रार्थी के पिता ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर धोखाधडी कर वाद वर्णित भूमि पर स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया। उक्त नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने किन्तु कब्जा नही होने से प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है बिना हक अधिकार के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी में प्रार्थी के हिस्से पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करने एवं प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण से अपने हक अधिकार को सुरक्षित रखने हेतु प्रथम दृष्टया प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसलावाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के विरूद्ध दोराने वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन दादागिरी व ताकत के बल पर कब्जा करने व बेदखल करने की कोशिश न तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे। प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पेदा नही करे। राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल यथा रहन बैचान, अन्तरण के किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही करे।

वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने दोराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का वाद वर्णित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है प्रार्थी के पिता ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर कब्जा काश्त के अभाव में भी जमाबन्दी में अपना नाम अंकित करवा लिया एवं उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर कब्जा करने पर आमादा है अप्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी में सहखातेदार होने से प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई हक अधिकार नही है।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नकल जमाबन्दी, खाता सं0 39 वाके ग्राम फतेहपुरा संवत् 2076 का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार होने से प्रार्थी के हिस्से तक प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारो में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों से प्रमाणित नही होता है, साथ ही वादग्रस्त आराजी सहखातेदारान् की भूमि होने से अप्रार्थीगण को, जो कि वाद वर्णित आराजी में समस्त खातेदार अपने हिस्से तक अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग करने के अधिकारी है, को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कर उन्हे अपने हिस्से तक खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहा है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट में निहित प्रावधान प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को प्रमाणित करने में असफल होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा